नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
भिलाई-दुर्ग (छ.ग.)

एच.आर.डी. भूतल सभागार में दिनांक 04 मार्च 2017 को संपन्न नराकास की 44 वीं छ:माही बैठक सह पुरस्कार वितरण समारोह का

कार्यवृत्त

समिति की 44वीं बैठक सह पुरस्कार वितरण समारोह माननीय अध्यक्ष नराकास भिलाई-दुर्ग की अध्यक्षता, सहायक निदेशक (कार्या.) राजभाषा विभाग, मध्य क्षेत्र, के मुख्य आतिथ्य एवं कार्यपालक निदेशक (कार्मिक एवं प्रशा.) के विशिष्ट आतिथ्य में आरम्भ हुई। बैठक में समिति के माननीय सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति रही (सूची संलग्न) ।

इस अवसर पर समिति की गृह पत्रिका ''महानदी'' के 'छत्तीसगढ़ पर्यटन विशेषॉक ' का विमोचन तथा नराकास वेबसाइट का अनावरण भी किया गया। तत्पश्चात सचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही क्रम में संपन्न छमाही (सित.-दिसंबर 2016) के संपादित कार्यों का अनुपालन प्रतिवेदन एवं कार्यसूची पर बिन्दुवार चर्चा कर सर्वसम्मति से अधोलिखित निर्णय लिये गये :-

(1) राजभाषा नियम-5 के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों/संचिकाओं पर जवाबी कार्रवाई अनिवार्यत: हिंदी में ही की जाए|

कार्रवाई : माननीय समिति सदस्य संस्थान

(2) राजभाषा नियम 8(4) के तहत कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों का रोस्टर बनाया जाए। इसके आधार पर प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों को हिंदी में कार्यालयीन काम करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए।

कार्रवाई : माननीय समिति सदस्य संस्थान

(3) समिति के सदस्य संस्थानों द्वारा अपने संस्थान में कार्यरत कार्मिकों के लिए प्रत्येक तिमाही में 01 हिंदी की कार्यशाला/प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए।

कार्रवाई : माननीय समिति सदस्य संस्थान

(4) राजभाषा विभाग, मध्य क्षेत्र, भोपाल के निर्देशानुसार मई 2017 में छत्तीसगढ़ के नराकास सचिवों का एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन नराकास, भिलाई द्वारा किया जाए।

कार्रवाई : 1. संबद्ध संस्थान प्रमुख 2. समिति सचिवालय

(5) समिति के सदस्य संस्थानों द्वारा राजभाषा के सांविधिक प्रावधानों के तहत बोर्ड, नामपट्ट, मुहर एवं पत्रशीर्ष आदि अनिवार्यत: द्विभाषी में ही प्रयोग में लाया जाए।

कार्रवाई : माननीय समिति सदस्य संस्थान

क्रमश: 2

8.3.17

(6) प्रत्येक सदस्य संस्थानों द्वारा तिमाही रिपोर्ट को समय पर सचिवालय को भेजा जाए।

कार्रवाई : माननीय समिति सदस्य संस्थान

(7) सभी सदस्य कार्यालयों में प्रयोग में आने वाले कम्प्यूटरों में यूनिकोड सुविधा बहाल की जाए।

कार्रवाई : माननीय समिति सदस्य संस्थान

(8) समिति के अधोलिखित सदस्य संस्थानों द्वारा आगत छमाही में नराकास स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए।

- भारतीय जीवन बीमा निगम, भिलाई
- एफ.एस.एन.एल., भिलाई
- सेल, सी.एम.ओ.,. भिलाई
- सेल एसआरयू, भिलाई
- भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई,
- केन्द्रीय उत्पाद सीमा शुल्क,प्रभाग 1, भिलाई

कार्रवाई : 1. संबद्ध सदस्य संस्थान प्रमुख 2. नराकास सचिवालय

(9) समिति सदस्य संस्थानों द्वारा वार्षिक अंशदान राशि को समय पर समिति सचिवालय को भेजा जाए।

कार्रवाई : माननीय समिति सदस्य संस्थान

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ सभा की कार्यवाही समाप्त हुई।

(डॉ बी.एम.तिवारी)
वरि.प्रबंधक (राजभाषा) एवं
सचिव, नराकास, भिलाई-दुर्ग

(एम.रवि)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
भिलाई इस्पात संयंत्र एवं अध्यक्ष,
नराकास, भिलाई-दुर्ग